तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
13/09/2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 04/10/23 को पेश हों। 2	
04/10/2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/12/23 को पेश हों। 2	
20/12/2023	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 3 को सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 3 बावजूद तामील गैरउपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1- मुराराम पुत्र डाऊराम PW-2- स्वतंत्र गवाह चिमनाराम पुत्र लच्छाराम के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 डाऊराम पुत्र चोखाराम का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली ~~पत्रावली~~ व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	डाऊराम मुराराम चिमनाराम

न्यायालय ... अह... हुक्म ... में जार...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी–विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–05/2023

वादी

1. भुराराम पुत्र डाऊराम
   जाति जाट निवासी बनिया धोरा,
   पटवार हल्का बायतु भीमजी,
   तहसील बायतु

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डाऊराम पुत्र चौखाराम
2. भोमाराम पुत्र डाऊराम
3. भैराराम पुत्र डाऊराम
   जाति जाट निवासी बनिया धोरा
   पटवार हल्का बायतु भीमजी,
   तहसील बायतु

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित

1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादी
2. श्री जगदीश गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांकः 20/12/2023

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा बनिया धोरा, पटवार हल्का बायतु भीमजी, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमशः 12, 178/14, 48, 49, 50 रकबा क्रमशः 0.2184, 15.7593, 6.9574, 3.3493, 16.5198 हैक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रतिवादी का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही पूर्वज चौखाराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी वादी के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादी के पिता डाऊ के कब्जे काश्त की थी वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि हैं। और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा हैं व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा अनुसार काबिज हैं। क्यांकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु परुष के पुत्र, पौत्र व पड़पौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायोकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। अतः वादीग को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवानें का अधिकार हैं एवं जिस हेतु यह वाद घोषणा का न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादी का यह वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

प्रतिवादीगण के तामिलसुदा नोटिस पुनः प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जबाब लिखित में पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमती प्रदान की हैं। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और स्वंय या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। वादी द्वारा वाद के साक्ष्य के रुप में स्वंय भुराराम पुत्र चौखाराम शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में चिमाराम पुत्र लच्छाराम का शपथ पत्र PW-2, पेश किये गये। प्रतिवादी द्वारा वाद के साक्ष्य के रुप में स्वंय डाऊराम पुत्र चौखाराम का शपथ पत्र DW-1 पेंश किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त की थी। वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज चौखाराम के विधिक वारिशान हैं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता हैं व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिकी किया जाता है व अन्मिम डिकी इस आश्य की जारी की जाती हैं कि मौजा मौजा बनिया धोरा, पटवार हल्का बायतु भीमजी, तहसील बायतु के खसरा संख्या कमंशः 12, 178/14, 48, 49, 50 रकबा कमंशः 0.2184, 15.7593, 6.9574, 3.3493, 16.5198 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो, पत्रावली फैलस सुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

निर्णय आज दिनांक 20/12/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

–: पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. भुराराम पुत्र डाऊराम जाति जाट निवासी बनिया धोरा, पटवार हल्का बायतु भीमजी, तहसील बायतु

बनाम

1. डाऊराम पुत्र चौखाराम
2. भोमाराम पुत्र डाऊराम
3. भैराराम पुत्र डाऊराम
   जाति जाट निवासी बनिया धोरा पटवार हल्का बायतु भीमजी, तहसील बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :– 05 / 2023 दिनांकः 20/12/2023

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति एवं प्रतिवादी वकील श्री जगदीश गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा बनिया धोरा, पटवार हल्का बायतु भीमजी, तहसील बायतु के खसरा संख्या कमंशः 12, 178 / 14, 48, 49, 50 रकबा कमंशः 0. 2184, 15.7593, 6.9574, 3.3493, 16.5198 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 20/12/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर) 20/12/23

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO),बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(हस्ताक्षर) 20/12/23
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर